

प्रेषक,

नगर मजिस्ट्रेट/  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2,  
आफिस काम्प्लैक्स प्रथम तल सेक्टर-5,  
मझौला योजना संख्या-4 भाग-2,  
मुरादाबाद।

पत्रांक 869 / आठ-वि0भू0अ0अ0 / मुरादाबाद दिनांक 15-9-2022  
विषय- परिषद की मझौला योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) मुरादाबाद के ग्राम  
शाहपुर तिगरी की खुली एवं उपयोगी भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित  
किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1532/वाई.एम-3/92/दिनांक 24.8.22  
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त विषयक योजना हेतु अर्जित की  
जा रही ग्राम लॉकड़ी फाजलपुर की 8.974289 हे0 एवं शाहपुर तिगरी की 1.551068 हे0  
करार से अवशेष खुली एवं उपयोगी भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित करने की अपेक्षा  
की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त विषयक योजना हेतु ग्राम शाहपुर  
तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद की 1.551068 हे0 खुली एवं उपयोगी भूमि का अनिवार्य  
अभिनिर्णय दिनांक 15.09.2022 को घोषित किया जा चुका है, अभिनिर्णय की प्रति पत्र के  
साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

कुल 1+7 पृष्ठ

भवदीय,

(एम.पी.सिंह) 15/9/22

नगर मजिस्ट्रेट/  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104  
महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2500/एलएसी/  
एचक्यू-138/दिनांक 4.12.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।

श्री. अ. व. ज. र.  
18

### घोषित अभिनिर्णय

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-23,24, 25, एवं 26 के अन्तर्गत दरों का निर्धारण एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1994 यथासंशोधित 1984 की धारा-11 के अन्तर्गत अभिनिर्णय की घोषणा:-

|     |  |  |  |                |
|-----|--|--|--|----------------|
| 1   | याद संख्या   | 2/12   |  |                |
| 2   | ग्राम का नाम/तहसील/जिला  | शाहपुर तिगरी/मुरादाबाद/मुरादाबाद   |  |                |
| 3   | अर्जित क्षेत्रफल   | 28.963 हेक्टेयर  |  |                |
| 4   | ग्राम समाज व रास्ता की भूमि  | 0.862 हेक्टेयर   |  |                |
| 5   | अवशेष अर्जित क्षेत्रफल   | 28.101 हेक्टेयर  |  |                |
| 6   | वर्तमान अभिनिर्णय का क्षेत्रफल   | 1.551068 हेक्टेयर  |  |                |
| 7   | अर्जन निकाय का नाम   | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।                                    |  |                |
| 8   | योजना का नाम   | मझौला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) दिल्ली रोड, मुरादाबाद।            |  |                |
| 9   | धारा-28 की संख्या/दिनांक   | संख्या-76/भू0अ0-दो/ दिनांक 10.01.2003<br>गजट प्रकाशन दिनांक 15.02.2003                         |  |                |
| 10  | अखबार में प्रकाशन दिनांक   | अमर उजाला दिनांक 27.03.2003  |  |                |
| 11  | धारा-32 की संख्या/दिनांक   | संख्या-685/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक<br>20.03.2010 गजट प्रकाशन दिनांक 22.05.2010                |  |                |
| 12  | धारा-32 शुद्धिपत्र संख्या/दिनांक   | संख्या-1430/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक<br>19.06.2010 गजट प्रकाशन दिनांक 17.07.2010               |  |                |
| 13  | धारा-7 के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृति अधिकार पत्र सं0/दि0,  | संख्या-1207/8-2-11-04एच0क्यू0/2007<br>आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, लखनऊ<br>दिनांक 24.05.2011 |  |                |
| 14  | क्या धारा-17 का प्राविधान लागू है  | नहीं।  |  |                |
| 15  | क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है  | हाँ।   |  |                |
| 16  | कब्जा का दिनांक  |  |  |                |
| 17  | अभिनिर्णय का दिनांक  | 15.09.2022   |  |                |
| 18  | पहली अनुसूची के क्रमॉक-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नगरीय क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है। | 1.00 (एक)  |  |                |
| 19- | अभिनिर्णय की धनराशि  | 1  | बाजार मूल्य को 01 गुणोंक से गुणा करने पर निर्धारित दर से भूमि का प्रतिकर | 1,14,97,911.00 |

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
|  | 2 | अधिनियम की धारा-30 के अनुसार प्रतिकर के समतुल्य तोषण की धनराशि | 1,14,97,911.00 |
|  | 3 | योग  | 2,29,95,822.00 |

### अभिनिर्णय का औचित्य

जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मंजोला भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) दिल्ली रोड मुरादाबाद के निर्माण हेतु स्थायी रूप से ग्राम शाहपुर तिगरी, लाकड़ी फाजलपुर व डिडौरी तहसील मुरादाबाद की भूमि का अर्जन किया गया। अर्जित की गयी भूमि की धारा-28 एवं धारा-32 का प्रकाशन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अन्तर्गत कराया गया है। धारा-28 का राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 15.02.2003 एवं धारा-32 का राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.05.2010 एवं शुद्धि पत्र गजट प्रकाशन दिनांक 17.07.2010 को आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वयं अपने स्तर से कराया गया है।

तदोपरान्त आवास विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार निष्पादित करने हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर की दरों का निर्धारण कराने हेतु शासनादेश संख्या-1718/1-13-2001-20(124)/2001-रा0-13 दिनांक 29.09.2001 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में समिति गठित कर आपसी सहमति से प्रतिकर का भुगतान करने हेतु दरों का निर्धारण कराया गया। समिति द्वारा ग्राम शाहपुर तिगरी में रू0 3600.00 प्रति वर्गमीटर, ग्राम लाकड़ी फाजलपुर में रू0 2700.00 प्रति वर्गमीटर व ग्राम डिडौरी में रू0 2000.00 प्रति वर्गमीटर की दरें प्रस्तावित की गयी।

आवास आयुक्त, उ0.प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पत्र संख्या-294 दिनांक 17.6.2014 द्वारा परिषद के मा0 निदेशक मण्डल द्वारा ग्राम लाकड़ी फाजलपुर में रू0 2700.00 प्रति वर्गमी0, ग्राम शाहपुर तिगरी में रू0 3600.00 प्रति वर्गमी0 एवं ग्राम डिडौरी में रू0 2000.00 प्रति वर्गमीटर की स्वीकृत दरों के आधार पर समिति का कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही कराने की माँग की गई है।

समिति द्वारा सहमति के आधार पर चयनित दरों का अनुमोदन आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्र संख्या-1638/आठ-13 (2013-14) रा0सहा0-1 दिनांक 15.09.2014 द्वारा परियोजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली ग्राम शाहपुर तिगरी में रू0 3600.00 (रू0 छत्तीस सौ) प्रतिवर्गमीटर, ग्राम लाकड़ी फाजलपुर में रू0 2700.00 (रू0 दो हजार सात सौ) प्रति वर्गमीटर व ग्राम डिडौरी में रू0 2000.00 (रू0 दो हजार) प्रतिवर्गमीटर की दर को अनुमोदित कर दिया गया है। ग्राम शाहपुर तिगरी के लिए आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दर रू0 3600.00 प्रति वर्गमीटर से करार से आच्छादित भूमि के प्रतिकर का वितरण किया जा चुका है।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ के पत्र संख्या-2500/एलएसी/ एचक्यू-138/ मुरादाबाद/दिनांक 4.12.2020 के साथ अधिशासी अभियन्ता-परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-निर्माण ईकाई रुहेलखण्ड-2, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1835/ दिनांक 29.10.2020 की छाया प्रति एवं उसके साथ ग्राम लौकड़ी फाजलपुर एवं शाहपुर तिगरी की भूमि के गाटा संख्याओं/क्षेत्रफल की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए सूची में अंकित खुली एवं उपयोगी भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित करने की अपेक्षा की गयी। तत्कम में अनिवार्य

अभिनिर्णय हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची में सम्मिलित भूमि का आवास विकास परिषद/तहसील कर्मियों/भूमि अध्याप्ति अमीनों से संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को पत्र संख्या-104/दिनांक 1.7.2021 प्रेषित किया गया तथा अभिनिर्णय हेतु वांछित धनराशि की मांग की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड, रूहेलखण्ड-2, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1450/ दिनांक 11.8.2022 के द्वारा उक्त योजना हेतु रू० 24.00 करोड़ की धनराशि कोषागार में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।

तत्कम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड, रूहेलखण्ड-2, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1532/वाई.एम-3,/92 दिनांक 24.8.2022 के द्वारा अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित करने हेतु अर्जित भूमि के गाटा संख्याओं/क्षेत्रफल की अद्यतन सूची उपलब्ध करायी गयी हैं। प्रश्नगत योजना हेतु अर्जित कुल निजी भूमि 28.101 हेक्टेयर में से करार निष्पादित भूमि के क्षेत्रफल एवं आवास विकास परिषद द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.08.2022 के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी सूची में सम्मिलित भूमि के क्षेत्रफल 1.551068 हेक्टेयर के अतिरिक्त अवशेष भूमि के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद द्वारा निर्णय लेकर अवगत कराये जाने के उपरान्त अवशेष भूमि के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी। आवास विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित करने हेतु ग्राम शाहपुर तिगरी की भूमि की उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय घोषित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्रम संख्या | अर्जित गाटा संख्या | अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------------|--------------------|---|
| 1           | 2                  | 3                                       |
| 1           | 784                | 0.032468                                |
| 2           | 811                | 0.00200                                 |
| 3           | 777                | 1.5166                                  |
| योग         |                    | 1.551068                                |

उपरोक्त अर्जित भूमि में सम्मिलित हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 की धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत निम्नवत व्यक्तियों द्वारा अपनी अर्जित भूमि के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी:-

1- होराम, शिवचरन, रामपाल, राजपाल पुत्रगण गंगा सहाय निवासीगण शाहपुर तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा गाटा संख्या-777 को अर्जन से मुक्त करने की मांग की गयी है।

2- सुरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, सावेन्द्र पुत्रगण लल्लू सिंह नन्हे सिंह पुत्र हेतराम, चरन सिंह, विजयपाल सिंह पुत्रगण मुख्तयार सिंह, धर्मपाल सिंह महेश सिंह, जसराम सिंह हरपाल सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण तेज सिंह, यादराम पुत्र घासी, टीकाराम, मुरारीलाल पुत्रगण बिहारी, रामचरन सिंह पुत्र कुड़े सिंह, श्रीमती मुदेश पत्नी जगपाल सिंह, श्रीमती प्रियका पत्नी-संजीव कुमार, परम सिंह पुत्र नेतराम सिंह, विजयपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह, यादराम सिंह पुत्र हेतराम, वीर सिंह पुत्र हरि सिंह, रघुवर सिंह पुत्र विशन सिंह, सत्यपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह, रामस्वरूप पुत्र मोहन, बाबूराम पुत्र सीताराम निवासीगण- शाहपुर तिगरी तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा गाटा संख्या-811 को अर्जन से मुक्त करने की मांग की गयी है।

44

उक्त आपत्तियों में आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपनी भूमि को अर्जन से मुक्त करने की याचना की गयी है। प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की मझौला योजना संख्या-4 भाग-2 (विस्तार) के निर्माण हेतु जनहित में किया जा रहा है जिसके कारण आपत्तिकर्ताओं की भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। तदनुसार आपत्ति निरस्त करते हुए निस्तारित की जाती है।

क्योंकि वर्तमान में 1.1.2014 से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 प्रभावी हो गया है, और अधिनियम की धारा-24 की उपधारा-1(क) में व्यवस्था है कि "कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम संख्या-1, अधिनियम प्रक्रिया का व्यपगत समझा जाना:-

1. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का 1) के अधीन आरम्भ की गयी भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में :-  
(क) जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है, वहाँ इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से संबन्धित सभी उपलब्ध लागू होंगे, या  
(ख) जहाँ उक्त धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय किया गया है, वहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी, मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-26(1) व उसके उपबन्धों (क) (ख) (ग) में दर निर्धारण हेतु दी गयी व्यवस्थानुसार दर निर्धारण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1956 की धारा-28 के प्रकाशन दिनांक 15.02.2003 से पूर्ववर्ती 03 वर्ष की अवधि में ग्राम शाहपुर तिगरी में निष्पादित विक्रयपत्रों का संकलन सब रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद से कराया गया। उक्त 03 वर्ष की अवधि में कुल 347 विक्रयपत्र निष्पादित होने पाये गए, जिनको अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया तथा यथास्थान ग्राम के मानचित्र पर अंकित किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

अनुसूची-2 के क्रमांक-2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140, 141,142,143,144,145,146,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186, 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231, 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254, 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,270,271,272,273,274,275,277,278, 279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300, 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322, 323,324,325,326,327,328,331,332,333,335,336,337,338,340,341,342,343,344,345,346,347 पर अंकित विक्रयपत्रों में भूमि का कय विक्रय छोटे-छोटे भूखण्डों (प्लॉट्स) के रूप में हुआ है, जिस

4/

कारण इन विक्रयपत्रों की दरों में भारी असमानता होने के कारण अर्जित भूमि का मूल्यांकन करने हेतु उचित दर प्रदर्शित नहीं करती है, इन विक्रयपत्रों के आधार पर भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना उचित नहीं है।

अनुसूची-2 के क्रमांक-1,4,28,69,70,103,138,147,153,221,242,269,276,329,330,334, 339, पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि से बाहर के विक्रयपत्र है, जो भूमि की उपयोगिता व उपादेयता को प्रदर्शित नहीं करते है,जिस कारण प्रतिकर निर्धारण हेतु इन विक्रयपत्रों में से किसी भी विक्रयपत्र का चयन नहीं किया जा सकता है।

अब मेरे समक्ष अनुसूची-2 के क्रमांक-84 पर अंकित विक्रयपत्र प्रतिकर निर्धारण हेतु शेष रह जाता है। यह विक्रय पत्र सोमेश्वर कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी- स्योहरा धामपुर द्वारा छोटे राम पुत्र गंगाराम निवासी जलालपुर नरायन जिला अमरोहा के पक्ष में गाटा संख्या-631 क्षेत्रफल 134.90 वर्ग मीटर भूमि का रू० 1,00,000.00 में दिनांक 31.07.2000 को निष्पादित हुआ है,जिसकी दर प्रति वर्गमीटर रू० 741.29 पैसे आती है। यह विक्रय पत्र कृषि भूमि का है तथा तत्समय की बाजार मूल्य को प्रदर्शित करता है इस विक्रय पत्र को अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारित करने हेतु प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयनित करते हुये इस विक्रय पत्र की दर के आधार अर्जित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण किया जाना न्यायोचित होगा। अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि के समतुल्य तोषण की धनराशि का भुगतान भी हितवद्द व्यक्तियों को किया जायेगा।


इस विक्रयपत्र के आधार पर अर्जित भूमि का प्रमाणित प्रतिकर निम्न तालिका में दिया जा रहा है:-

| अर्जित क्षेत्रफल हेक्टेयर में | अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर में | भूमि के प्रतिकर की दर प्रति वर्गमीटर | भूमि का प्रतिकर | प्रतिकर के समतुल्य तोष की धनराशि | प्रतिकर एवं तोष की धनराशि का कुल योग (कालम 4 व 5 का योग) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 1                             | 2                             | 3                                    | 4               | 5                                | 6  |
| 1.551068                      | 15510.88                      | 741.29 पैसे                          | 1,14,97,911.00  | 1,14,97,911.00                   | 2,29,95,822.00   |

निर्धारित प्रतिकर दर पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-30 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम अधिरोपित की जायेगी। धारा-30 के प्ररतर-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम अधिसूचना के प्रकारान की तिथि 15.02.2003 से अभिनिर्णय की तिथि तक भूमि के मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल की धनराशि भी हितवद्द व्यक्तियों को देय होगी।


4

उक्त अभिनिर्णय में सम्मिलित कुल 1.551068 हेक्टेयर भूमि के प्रतिकर व तोषण की धनराशि रू0 2,29,95,822.00 के अतिरिक्त भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-30 के प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धारा-28 की अधिसूचना/गजट के दिनांक 15.2.2003 से अवार्ड के दिनांक तक भूमि के मूल्य की धनराशि पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल की धनराशि रू0 2,70,20,405.00 (दो करोड़ सत्तर लाख बीस हजार चार सौ पाँच रुपये मात्र) सहित कुल धनराशि रू0 5,00,16,227.00 (पाँच करोड़ सोलह हजार दो सौ सत्ताइस मात्र ) पर उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या- 208 / एक-13-2018-5क (25)/2013 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 13.4.2018 के कर्मांक-1 पर अंकित विवरण के अनुसार 2.5 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय, की धनराशि रू0 12,50,405.00 (बारह लाख पचास हजार चार सौ पाँच रुपये मात्र ) को अर्जन व्यय के लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। पूँजीकृत मूल्य की धनराशि पूर्व में ही संबन्धित लेखा शीर्षक में जमा की जा चुकी है।

  
(एम0पी0 सिंह)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 13.09.2022 के उपरान्त उक्त अभिनिर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को घोषित किया जाता है।

  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।

गणनासीट  
 ग्राम - शाहपुर विभागी तहसील व जिला मुरादाबाद।

| क्र. सं.   | अभिनिर्णय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हिक्टयर में)       | व्ययनिर्गत विक्रय पत्र की भूमि का क्षेत्रफल / विक्रय पत्र का दिनांक | धारा-28 के दिनांक की अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों में से दिनांक 31.07.2000 को निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर दर प्रति वर्ग मीटर | 593.47 पैसे प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का प्रतिकार | प्रतिकार के सन्तुल्य तोषण की धनराशि | प्रतिकार की धनराशि पर धारा 28 के दिनांक 15.02.2003 से दिनांक 15.09.2022 तक 7148 दिन का 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकार | कुल धनराशि     | प्रतिकार / तोषण / 1 अतिरिक्त प्रतिकार की धनराशि के आधार पर दर प्रति वर्ग मीटर | अनुसूचित दि. 15.09.2022 को अगर्ट वॉरिज किया गया। |  |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|---|----------------|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                                   | 7   | 8              | 9   | 10   |  |
| 1  | 1.5510668   | 134.90 वर्ग मीटर<br>1,00,000.00                                     | 741.29  | 1,14,97,911.00                                       | 1,14,97,911.00                      | 2,70,20,405.00  | 5,00,16,227.00 | 3224.00   | दि. 15.09.2022 को अगर्ट वॉरिज किया गया।          |  |
| 2  | प्रतिकार की धनराशि पर 2.5 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि- |   |   |  |                                     |   | 12,50,405.00   |   |  |  |
| प्रतिकार व अर्जन व्यय की कुल धनराशि (रु. पाँच करोड़ बारह लाख छियासठ हजार छ. सौ बत्तीस रुपये मात्र) |   |   |   |  |                                     |   |                | 5,12,66,632.00  |  |  |

*main*  
 महामंद कारिस  
 मु. 30 अमीन  
 नरेन्द्र सिंह  
 मु. 030 अमीन

बी. एन. मदनानगर  
 वरिष्ठ सहायक

भेदर प्रसू सिंह  
 विशेष सूरी अकाउंटि अधिकारी  
 मुरादाबाद।